बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सू0संख्या–भवन / 11 / न्याया–03 / 2014.......11366(भ)....../ पटना, दिनांक– 18/12/17

:: अधिसूचना ::

श्री राम इकबाल पंजियार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या–01, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध भवन प्रमंडल, मधुबनी के पदस्थापन काल में (1) समादेश वाद संख्या–14524, रामशोमित यादव बनाम रात्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–13.08.2012 को पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं किया जाना, (2) विभागीय पत्रांक–7670(भ0) दिनांक–23.07.2014 द्वारा माँगा स्पष्टीकरण ससमय समर्पित नहीं करना, (3) असमायोजि दैनिक वेतनभोग कर्मी श्री शंकर सिंह को अपने पदस्थापन काल में मार्च 2013 तक कार्य लिया जाना एवं वेतन का भुगतान कर सामान्य प्रशासन विभाग के निदेश का उल्लंघन करना तथा (4) समादेशवाद में पारित न्यायादेश का ससमय अनुपालन नहीं करने के कारण अवमाननावाद दायर होने की स्थिति उत्पन्न करना आदि आरोपों के लिये विभागीय संकल्प ज्ञापांक–13086(भ0) दिनांक–24.12.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री के0के0 पाठक, अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–420 दिनांक–23.08.2017 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री पंजियार के विरूद्ध गठित चार (04) आरोपों में से आरोप संख्या–01, 03 एवं 04 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–18 (3) के आलोक में श्री पंजियार से विभागीय पत्राक–8748(भ0) दिनांक–25.09.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री पंजियार, कार्यपालक अभियंता द्वारा पत्रांक–139 दिनांक–10.10.2017 द्वारा विभाग को द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। श्री पंजियार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरान्त पाया गया कि कार्यपालक अभियंता को समादेशवाद संख्या–14524 / 012 में दिनांक–13.08.2012 को पारित न्यायादेश के आलोक में वादी को कराये गये कार्य का भुगतान या दावे का निस्तार करना चाहिए था। किन्तु कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी जिसके कारण अवमाननावाद की स्थिति उत्पन्न हुयी। श्री पंजियार द्वारा अपने कार्यकाल में जुलाई 2012 से अप्रैल 2013 तक श्री शंकर सिंह, दैनिक वेतन भोगी कर्मी को अनियमित एवं अवैध रूप से वेतन भुगतान कर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–369 दिनांक–16.03.2006 का उल्लंघन किया गया। इस स्थिति में श्री पंजियार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः श्री राम इकबाल पंजियार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या–01, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (v) के अन्तर्गत निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रवि शंकर चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 11 / न्याया–03 / 2014 11367 (भ) पटना, दिनांक– 18/12/17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वशरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 11 / न्याया–03 / 2014 11367 (भ) पटना, दिनांक– 18/12/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 11 / न्याया–03 / 2014 11367 (भ) पटना, दिनांक– 18/12/17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग, पटना / अपर सचिव / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी मुख्य अभियंता / सभी अवर सचिव / प्रभारी पदाधिकरी (राजपत्रित स्थापना), भवन निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी / भवन निरूपण अंचल संख्या–01, पटना / श्री राम इकबाल पंजियार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या–01, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।